

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237368
SG-DL-E-19072022-237368असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 192
No. 365]	DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 192

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

फा. सं. 6/1/2015-न्याय/अधी.विधि./1204-1212.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री शैलिन्द्र कौर को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th July, 2022

F. No. 6/1/2015-Judl./ Suptlaw/1204-1212.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints Ms. Shalinder Kaur, an officer of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judge on regular basis with effect from the date she takes over.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)